Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-III September 2020

इस्लाम की प्रमुख विचारधारायें

डॉ. सुहैल अज़ीम कुरैशी*

सार

यह लेख इस्लामिक विचारधाराओं के सम्बन्ध में हैं। इस का मुख्य उद्देश्य इस्लामिक विचारधारा से परिचय कराना हैं एंव भिन्न-भिन्न मतों के चिन्तन और अभिमतों से परिचित कराना हैं। यह भली- भांति ज्ञात है। कि इस्लामिक विधि मुख्यतः चार श्रोतों पर केन्द्रित है। सर्वप्रथम अल कुरान, सुन्ना, हदीस एवं कयास, परन्तु इनकी व्याख्या को लेकर विधिशास्त्रियों के बीच अंतर हैं, प्रत्येक की अपनी व्याख्या हैं। इसलिये अलग -अलग विधि प्रचलित है कोई भी विधि और उसकी शिक्षायें आपस में एक दुसरे से ऊपर नही हैं। सब एक ही मार्ग पर ले जाने में सक्षम हैं सबका उद्देश्य अंत में एक ही है अपने ईमान को "मुस्सल" रखते हुये "उल्लाह" की खिदमत करना।

परिचय

इस्लाम एक पुराना धर्म है इसका उदय अरब (मध्य एशिया) से सन 622 A.D .में हुआ आज लगभग 1440 वर्ष हो चुके हैं। विश्व में इसके अनुयायी बहुत संख्या में हैं, लगभग सभी देशों में निवास करते हैं। और इसी विभिन्नता के कारण विधिवेत्ताओं के मत में भी विभेद हैं। इसलिये कई विचारधारायें अस्तित्व में है फिर भी एक मत से सभी पैगम्बर मोहम्मद साहब को स्वीकार करते हैं। और उन्ही का या उनके दिये हुये सन्देशों का अनुसरण करते है। पैगम्बर मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद विचारधाराओं में मतभेद शुरु हुआ जिस कारण अलग-अलग सम्प्रदायों का उदय हुआ तथा यही संप्रदाय आगे उपशाखाओं में विभाजित हुये।

पैगम्वर साहब के देहान्त के वाद उतराधिकार को लेकर पहली बार अनुयायियों के बीच मतभेद हुआ। एक समूह पैगम्बर साहब के वंशजों को उतराधिकारी के रूप में देखना चाहता था और दूसरा समूह जनमत (चुनाव या जमआत) द्वारा उतराधिकार चाहता था। फलस्वरूप जनमत के आधार पर प्रथम खलीफा का चुनाव हुआ। प्रथम खलीफा अबु बकर बने जो आयशा बेग़म के पिता थे यहीं से दो सम्प्रदाय में इस्लाम बंट गया।

एक शिया- जो वंशज का पक्षधर था तथा दूसरा सुन्नी- जो जमआत का पक्षधर था। शिया सम्प्रदाय के लोग जमआत के प्राधिकार को इंकार करते है और सुन्नी सम्प्रदाय उनका समर्थन करता है। इस प्रकार इस्लाम के दो बडे सम्प्रदायों शिया– सुन्नी के बीच सैद्धांतिक मतभेद न होकर राजनीतिक थे। लेकिन कालान्तर में इस्लामिक विधि भी दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त हो गई। एक शिया विधि और दुसरी सुन्नी विधि बाद में इन प्रमुख सम्प्रदायों का भी उपसम्प्रदायों में विभाजन हुआ ।

सुन्नी सम्प्रदाय,चार उपसम्प्रदाय में बंटा। जिसका परिणाम यह हुआ कि सुन्नी कानून (विधि) की चार विचारधारायें हो गई। हनफी, मलिकी, शाफी, हनबली। इसी प्रकार से शिया सम्प्रदाय भी विभिन्न उपसम्प्रदायों में विभाजित हुआ। अथाना- अशरिया, इसमाइलिया, जैदिया भी विभक्त हुई और विचारधारायें बनी।

* प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह विधि महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.), पूर्व प्राचार्य, गुरुकुल विधि महाविद्यालय, गुना (म.प्र.)

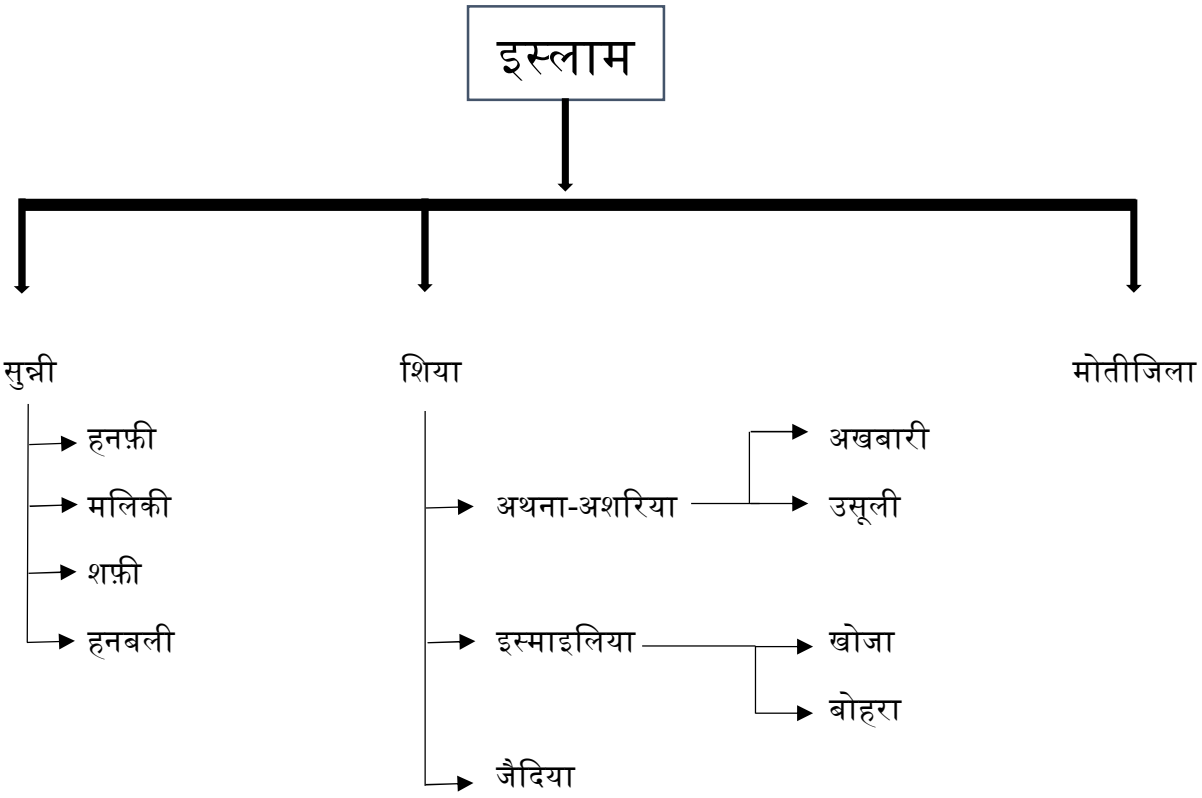

1. हनफ़ी विचारधारा (कुफा विचार पद्धति)

'अबु हनीफा अन नोमान इब्न साबित' जो कि इमाम अबु हनीफा के नाम से भी जाने जाते है। इन्होंने ही हनफी विचारधारा की नींव रखी थी। इनका जन्म 80 अ.हि. में कुफा (इराक) में हुआ। इसलिये इसे कुफा विचार पद्धति भी कहा जाता है अबु हनीफा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इन्होंने कानून की प्रमाणित- अप्रमाणित सभी परम्पराओं से प्राप्त करने के वजाय कयास द्वारा सीधे कुरान के मूल- पाठ से ही निगमित करने पर अधिक बल दिया।

दुसरे शब्दों में कहें कि अबु हनीफा के सुन्ना (परम्पराओं) के अंधानुकरण की तुलना में कुरान पर आधारित वैज्ञानिक ढंग से लिये गये व्यक्तिगत निर्णयों को वरीयता दी। अबु हनीफा का मानना था कि कानून को सामाजिक जरूरतों के अनुसार परिवतर्नशील होना चाहिये। जिन समस्याओं का समाधान कुरान या सुन्ना में उपलब्ध नहीं होता वहाँ पर विधिशास्त्रियों के मतैक्य निणर्य पर अधिक बल दिया। इनका यह भी कहना था कि जहाँ किसी कानून के अंतर्गत अन्याय होने की सम्भावना हो तो ऐसी स्थिति में उस कानून की व्याख्या में इस्तिहसन का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिये।[1]

हनफी विचारधारा की विशेषता यह भी है कि इन्होने, केवल 'कुरान' और उन 'सुन्ना' को ही स्त्रोत माना। जो परीक्षणों द्वारा पूर्णत: सत्यापित हो सके। इन्होने केवल सत्रह परम्पराओं को ही विश्वसनीय माना था। अबु हनीफ़ा, पहले विधिवेत्ता थे। जिन्होंने कयास को वरीयता प्रदान की तथा कयास की मदद से नये सिद्धांतों को विकसित करने के लिये नियम निर्धारित किये।[2] अबु हनीफ़ा ने कोई भी किताब नही लिखी इनके अनुयायियों

[1] सिन्हा, डॉ. आर. के.: मुस्लिम विधि (2012) सेंट्रल लॉ एजेंसी

[2] अहमद, अकील: मुस्लिम विधि (2012) सेंट्रल लॉ एजेंसी

ने बाद में इन्हें लिखित संग्रह किया। जिसमें अल हेदाया, फतवा-ए-आलमगीरी,दररुल- मुख़्तार कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जो कि व्यवहारिक तथा सामाजिक आवश्यकतानुसार परिवतर्नशील होने के कारण आगे चलकर खलीफाओं और शासकों ने बहुत उपयोगी माना ।

इस विचारधारा को अहमदिया मुस्लिम सामान्यतः अनुसरण करते है वैसे विचारधारा सामान्यतः सभी वर्ग के मुस्लिमों द्वारा मान्य है और कई देशों में प्रचलित है जैसे ईराक, मिस्र, जॉर्डन, इसराइल, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका इत्यादि।

2.मलिकी- विचारधारा

इमाम मलिक- इब्न- अनस इनका पुरा नाम अबू अब्दुल्लाह मलिक इब्न अनस था। इनका जन्म मदीना में सन 93 अल. हिजरी में हुआ था। इस विचारधारा को मदीनी विचार पद्धति भी कहा जाता है। इमाम मलिक को सुन्ना (परम्पराओं) का विशेषज्ञ माना जाता है (परम्परा=रिवाजो), यह विचारधारा पैगम्बर मोहम्मद साहब को कानून का महत्वपूर्ण स्रोत मानते है। मलिकी विचारधारा में हजरत मुहम्मद साहब के अनुयायियों (साथियों) द्वारा वर्णित परम्पराओं (रिवाज) के अलावा इन अनुयायियों के उत्तराधिकारियों द्वारा वर्णित परम्पराये भी मान्य है इनका मानना है, जहाँ तक संभव हो, कानून केवल पैगम्बर साहब की परम्पराओं (सुन्ना) को ही स्त्रोत माना जाये, ऐसा संभव न होने की दशा में इज्मा तथा कयास पर ध्यान दिया जाये।[3] इस विचारधारा के अनुसार अन्य स्त्रोतों से समाधान न होने की स्थिति में पूर्व निर्धारित निर्णयों को मान्यता देते है एवं इन्होने इज्मा (आम सहमति) पर अधिक बल दिया।

मलिकी-विचारधारा के विद्वानों द्वारा कानून की व्याख्या में एक नया तत्व इस्तिदलाल काफी प्रचलित हुआ। इस्तिदलाल शब्द का प्रयोग जनहित में किसी एक विषय द्वारा दूसरे विषय के अनुमान के लिए किया जाता था। इस विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण किताब अल- मूबता है जो आज भी मौजूद है। और मलिकी सिद्धांतों की प्रमाणिक किताब मानी जाती है। इसके अलावा खलील-इब्न-इसहाक द्वारा लिखित अल- मुख़्तसर मलिकी नियमों की दूसरी महत्वपूर्ण किताब है। इमाम मलिक ने स्वयं आठ हजार से ज्यादा परम्पराओं की जानकारी पता की एवं दो हजार से ज्यादा का संग्रह कर पुस्तक में संहिताबद्ध किया जो कि आज भी मानक हदीश की श्रेणी में आते है। मलिकी सिद्धांतों का विस्तार मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, दुबई, अबु दाहवी, कुवैत, बहरीन, लीबिया, मोरक्को जैसे देशों में हुआ।

3. शफ़ई- विचारधारा

इमाम अश-शफ़ी इस विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं। इनका पुरा नाम अबू अल्लाह मोहम्मद इब्न इवरीस अश-शाफ़ई था। इनका जन्म 150 अ.हि. में गाजा (फलिस्तीन) में हुआ। ये मूलतः कुरैश जनजाति के थे। इनका लालन- पालन पिता के देहान्त के बाद इनकी माँ ने बड़े गरीबी हालात में मक्का में किया। 20 वर्ष की आयु में ये इमाम मलिक इब्न अनस के पास मदीना आ गये और उनके शिष्य बने। इसलिये इस्लामिक विधिवेत्ता इमाम शफाई को मदीना-विचारधारा के ही मानते है। परन्तु इन्होने इमाम हनीफ़ा के अनुयायियों के साथ भी विधि के सिद्धांत का ज्ञान कुफा में हासिल किया। इस प्रकार से इमाम शफाई अपने समय के सर्वज्ञानी विधिशास्त्री माने जाते है। इतिहासकार इनको इस्लामिक विधि के रचनात्मक विधिवेत्ता मानते है। इन्होने भी पैगम्बर मुहम्मद साहब की सुन्ना (परम्पराओं) को ही आधार बनाया। इन्होने 'सुन्ना'का विश्लेषण विधिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार किया। जिससे अत्यन्त ही संतुलित तथा व्यवस्थित न्याय- प्रणाली

[3] सिन्हा, डॉ. आर. के.: मुस्लिम विधि (2012) सेंट्रल लॉ एजेंसी

विकसित हुई। वे अपने जीवन- पर्यन्त सुन्ना को व्यवस्थित ही करते रहे। इमाम अश- शाफ़ी का मानना था कि एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान 'कुरान' एव 'सुन्नत' में न हो। 'कयास' का सबसे अधिक उपयोग इमाम अश-शफी ने ही किया। लेकिन 'कयास' को इन्होने कुरान, सुन्ना तथा इज्मा के बाद ही स्थान दिया। इसके अतिरिक्त 'इस्तिदलाल' के सिद्धांत को भी मान्यता दी । इमाम अश- शाफाई द्वारा लिखित महत्वपूर्ण किताबें–'किताब-उल-उम्मा' जिसमे 'उसूल के सिद्धांतों' का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 'अल-सिसाला' जिसमे विधिशास्त्र के सिद्धांत एवं कार्य- विधि का सविस्तार वर्णन मिलता है।

शाफाई विचारधारा की अन्य महत्वपूर्ण किताबें 'हजर' द्वारा लिखित "त्याफत अल- मुहताज", गज्जाली द्वारा लिखित 'अल- वाजिज' तथा 'रामली' द्वारा लिखित "निहाजत-अल- मुहताज उल्लेखनीय है।

यह विचारधारा मिस्त्र, दक्षिण अरब, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया के भाग में फैला। भारत में पश्चिमी तट पर रहने वाले कुछ मुस्लिम उपसम्प्रदाय शाफाई विचार को मानते हैं।

4. हनबली- विचारधारा

इस विचारधारा के संस्थापक इमाम इब्न हनबल हैं इनका पूरा नाम इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न मोहम्मद हनबल है। आपका जन्म बगदाद में रबी 164 अ. हि.में हुआ। आप शाईबन परिवार से ताल्लुक रखते थे। आपको कई विधिवेत्ताओं की छत्रछाया में तालीम हासिल करने का सौभाग्य मिला। शुरुआती दिनों में इमाम अबू युसूफ से फ़िक्ह सीखी। हिशम सुफियान इब्न अयना से हदीस और दूसरी परंपराओं का ज्ञान अर्जन किया। आपका झुकाव हदीस की तरफ रहा। जिसकी वजह से इसे सीखने के लिए मक्का और यमन जैसे पारंपरिक स्थानों पर भी गए। वापस लौट कर आपने फ़िक्ह और फ़िक्ह उल उसूल इमाम शाफाई से सीखी। आपका इंतकाल 241 अल. हि. में बगदाद शहर में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आप के अंतिम संस्कार में लगभग 8,00,000 नर और नारी शामिल हुए। आपका शव शहीदों के कब्रिस्तान में बगदाद के हरबीविया स्थान पर दफनाया गया।[4] इस विचारधारा की विशेषता यह है कि इमाम इब्न हनबल ने सुन्नत का बड़ी कड़ाई से पालन किया और अत्यधिक बल दिया और इज्मा तथा कयास की लगभग अवहेलना ही कर दी। इमाम इब्न हनबल ने उन्हीं इज्मा को मान्यता दी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों से प्राप्त हुई। इसलिए अन्य विधिवेत्ता इनको परंपरावादी मानते हैं। अतः हम इस विचारधारा में यह पाते हैं कि व्यक्तिगत निर्णय तथा मानव तर्कों की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है। परिणामस्वरूप दूसरे विधिशास्त्री इस विचारधारा को अत्यंत ही दृढ़, गैर समझौता वादी और अव्यावहारिक मानते हैं।

इस विचारधारा की महत्वपूर्ण किताबें इमाम इब्न हनबल द्वारा लिखित 'मसनद- उल- इमाम हनबल' इस किताब में इमाम इब्न हनबल द्वारा संग्रहीत लगभग 50,000 सुन्नतों का उल्लेख है। इसके अलावा मसनद अहमद जो कि असल में उनके बेटे अल्लाह द्वारा लिपिबद्ध की गई। उनके बेटे ने उनके उपदेशों को सुनकर संग्रहित किया था। इस किताब में लगभग 28,000- 29000 हदीसों का संग्रह है। इमाम इब्न हनबल के पुत्र द्वारा अल-जुहद नाम की किताब पूर्ण की गई। इसके अलावा किताब उल-मशख तथा किताब उल-उलाल इस विचारधारा की अन्य किताबें हैं। इस विचारधारा को मानने वाले सऊदी अरब सीरिया तथा फिलिस्तीन के पास रहते हैं। शिया मत के अनुसार तीन विचारधारा ही प्रमुख है हालांकि शिया मत को मानने वाले लोग

[4] अहमद, अकील: मुस्लिम विधि (2012) सेंट्रल लॉ एजेंसी

दुनिया में अल्पसंख्या में हैं (सुन्नी मत की तुलना में)। ये ईरान देश में अधिकतर हैं और राजनैतिक तौर से सत्ता में हैं (ईरान एक शिया राष्ट्र है)।

अथना- अशरिया विचारधारा

यह विचारधारा अथना- अशरिया कानून पर आधारित है। इस विचार पद्धति में को इमामिया विचार पद्धति भी कहते हैं। इस विचार के अनुसार अली से लेकर अब तक 12 इमाम ही हुए हैं। और ये अली और उनके वंशज हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत इमामों द्वारा जो कुछ बताया गया या कहा गया कानून ही माना जाता है। इनकी राजनैतिक विचारधारा शिया मत में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इस विचार की एक विशिष्टता यह भी है कि इसमें मुता अथवा अस्थाई निकाह को मान्य किया गया है। इस विचार पद्धति के दो अन्य उप विचारधाराएं भी हैं:-

(i) अखबारी
(ii) उसूली

अखबारी- पैगंबर साहब की परंपराओं (सुन्ना) को कठोरता से पालन करने के कारण अखबारी कट्टरपंथी कहलाते हैं।

उसूली- इस विचारधारा के विद्वानों ने कुरान के मूल पाठों की व्याख्या रोजमर्रा की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में की है एवं तर्क को पूरा स्थान देते हैं।

शराए- उल- इस्लाम यह किताब इस विचारधारा की एक प्रामाणिक किताब मानी जाती है। इस विचारधारा के मुस्लिम ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान तथा भारत में रहते हैं।

इस्माइलिया विचारधारा

इस विचारधारा का मत है कि छठवें इमाम जफर- अस- सादिक के दो बेटे थे। बड़े इस्माइल और छोटे मूसा- उल- काजिम, कुछ लोगों का मत है कि छठवें इमाम जफर सादिक ने इस्माइल को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। और छोटे बेटे मूसा को उत्तराधिकार के रूप में सातवां इमाम माना। जबकि कुछ लोग बताते हैं की सादिक साहब के इंतकाल के पहले ही इस्माइल का देहांत हो गया था। इसलिए उनको उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हुआ। परंतु इस विचारधारा के मानने वाले शिया इस्माइल को ही सातवां इमाम मानते हैं। और मूसा- उल- काजिम और इनके बाद के इमामों को मान्य नहीं करते। इनके अनुसार केवल सात ही इमाम हुए हैं। जिनमें सातवें और अंतिम इमाम इस्माइल हैं। इसलिए इस शाखा के अनुयाई सप्त इमामी भी कहे जाते हैं।

इस विचारधारा का पुनः विभाजन दो उपसंप्रदाय में हुआ- खोजा और बोहरा। खोजा एवं बोहरा अपने प्रारंभिक काल से ही व्यापारी समुदायों के रूप में जाने जाते हैं। इस्माइलिया मुस्लिम मध्य एशिया, सीरिया, पाकिस्तान एवं भारत आदि देशों में निवास करते हैं। भारत में मुंबई तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले इस्माइलिया विचारधारा के मुस्लिम या तो खोजा उपशाखा के हैं या बोहरा। भारत में खोजा शाखा के लोगों के 48 वें ईमाम आगा खां थे एवं 49 वें इमाम शहजादा करीम थे। पैगंबर साहब की वंशावली के अनुसार बोहरा शाखा के मुस्लिम भी दो और शाखाओं में जाने जाते हैं दाऊदी और सुलेमानी।

इस्माइलिया विचारधारा की प्रमाणिक किताब दयमुल- इस्लाम है। यह माना जाता है कि इस विचारधारा के मुस्लिमों को धर्म की विशेष इल्म है।

जैदिया (जैदी) विचारधारा

इस विचारधारा के संस्थापक जैद माने जाते हैं, जो चौथे इमाम अली जिबन हुसैन के पुत्र थे। इनका पूरा नाम जायद इब्न अल अली है। ऐसा माना जाता है कि शिया समुदाय में से अपने को सर्वप्रथम जैदी उपसंप्रदाय ने ही पृथक किया था। इस उपसंप्रदाय की एक विशेष बात यह भी है कि इसने सुन्नी संप्रदाय के कुछ सिद्धांतों को भी मान्य किया। इसलिए यह कहा जाता है कि इस शाखा के मुस्लिम शिया और सुन्नी दोनों विचारों को मानते हैं। फैजी कहते हैं कि- जैदियों ने शिया- सुन्नी सिद्धांतों का एक विचित्र एवं रोचक सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है।[5] इस विचारधारा के शिया मुस्लिम अधिकांशतः यमन और उसके आसपास रहते हैं भारत में ये नहीं है।

मोतीजिला संप्रदाय

मोतीजिला विचार पद्धति शाखा के रूप में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के रूप में नवीं शताब्दी के आसपास उदय हुई। इस समय मैमन का शासन काल था और इसी काल में एक विशिष्ट संप्रदाय के रूप में उभर कर सामने आए।

इस संप्रदाय के संस्थापक अता- अल-गज्जल थे। यद्यपि ये अपने को शिया या सुन्नी किसी भी संप्रदाय से संबंध नहीं मानते। तथापि ऐसा माना जाता है कि पहले ये किसी समय में शिया मुस्लिम ही थे आमिर अली के अनुसार।

आमिर अली का मत है कि मोतीजिला सिद्धांतों के तुलनात्मक विवेचना से हम पाएंगे कि या तो पहले के इस्माइलिया शिया संप्रदाय में स्थापित किए गए सिद्धांत है। अथवा यह उन सिद्धांतों के ऐसे संशोधन है जो कि प्रगतिशील समाज की आवश्यकता अनुसार इनमें उत्प्रेरित हो गए हैं।[6] कुछ विधिशास्त्रियों ने एक मृत विचार पद्धति वाले लोगों की श्रेणी में रखते हैं। जिन्होंने अपने सिद्धांतों के विकास करने की चेष्टा की थी परंतु आज भी उनका कोई संगठित समुदाय नहीं है। और ना विधि का कोई प्रथक निकाय है। शाहराशीमी, जो इस संप्रदाय के विषय में एक परिनिष्ठित मध्ययुगीन अधिकृत विद्वान माने जाते हैं। इस विचारधारा को एक पृथक वर्ग या संप्रदाय समझते हैं।[7] इस विचारधारा के अनुयायियों की मान्यता है कि प्रत्येक नियम का आधार केवल अल-कुरान ही है। सुन्ना को अधिकांश लोग अस्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय का एक अति विशिष्ट सिद्धांत है। जो किसी अन्य मुस्लिम संप्रदाय से अलग करता है या किसी और में देखने को नहीं मिलता। वह है एक 'पत्नीत्व का नियम' (एक ही पत्नी से निकाह करते हैं) जिसका बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं। इस संप्रदाय की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें तलाक के लिए काजी का निर्णय आवश्यक है। इस विचारधारा में तलाक दूसरे मुस्लिम संप्रदाय की तरह से नहीं हो सकता।[8] मोतीजिला संप्रदाय के मुस्लिम संख्या में बहुत कम है।

अन्य विचारधारा

शिया, सुन्नी, मोतीजिला के अलावा कुछ मुस्लिम विचारधारायें और भी हैं। कुछ मुस्लिम विधिशास्त्री इसे पूर्व में बताई गई विचारधारा के अंतर्गत मानते हैं। परंतु कुछ इनको अलग संप्रदाय के रूप में मानते हैं।

---

[5] फैजी: आउटलाइन्स ऑफ़ मुहम्मडन लॉ VI संस्करण पृष्ठ संख्या 41

[6] आमिर अली द स्पिरिट ऑफ इस्लाम पृष्ठ संख्या 416

[7] अहमद, अकील: मुस्लिम विधि (2012) सेंट्रल लॉ एजेंसी

[8] सिन्हा, डॉ. आर. के.: मुस्लिम विधि (2012) सेंट्रल लॉ एजेंसी

इबादी संप्रदाय

यह विचारधारा अपने आप को चौथे खलीफा अली के समय से अस्तित्व में है, बताती है। इस विचारधारा के लोग सीधे कुरान में विश्वास रखते हैं ना कि सुन्ना में।

परंतु एक बात है इस संप्रदाय के लोग इत्तहाद को अपनाते हैं जो सुन्नी विचारधारा की है। जिसे शिया अमान्य करते हैं। इस संप्रदाय के लोग ओमान में पाए जाते हैं।

अहमदिया संप्रदाय

इस संप्रदाय के लोग अपने को मुस्लिम तो मानते हैं परंतु पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी के रूप में खुद को स्वीकार नहीं करते हैं। इस विचारधारा का उदय नवीन माना जाता है। ये खुद को अहमद के अनुयायी मानते हैं, जो 19वीं शताब्दी में जीवित थे। इस संप्रदाय का उदय अंग्रेजों- भारतीयों और मिर्जा गुलाम खदीयनी को संस्थापक मानते हैं। जिन्होंने अंग्रेज सरकार की खिदमत की। इस विचारधारा के लोग यद्यपि अपने को मुस्लिम कहते हैं परंतु कोई भी मुस्लिम सरकारें इनको मुस्लिम स्वीकार नहीं करती। उनका मानना है कि इस विचारधारा के लोग मुस्लिम या इस्लाम की विचारधारा से मेल नहीं खाते।

भारत के पंजाब इलाके में खदीयान गांव को अहमद का जन्म स्थान माना जाता है। इसलिए इनके अनुयायियों को खदीयानी भी कहा जाता है। इस विचारधारा की कोई भी मानक (मान्य) किताब नहीं है। जैसे कि इस्लाम में है। इस अहमदिया संप्रदाय का मानना यह भी है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले बुद्ध, कृष्ण, ज्योतसर, राम इत्यादि को भी पैगंबर मानते हैं। और मोहम्मद साहब अंतिम हैं जिन्होंने ईश्वर से संवाद किया। इस विचार को दूसरे मुस्लिम नकारते हैं। इस विचारधारा का यह भी मानना है इस्लाम न तो जिहाद से ना ही तलवार के जोर से फैला बल्कि तर्क और अहिंसा से फैला ताकि दुनिया में शांति स्थापित हो सके।

उपसंहार

इस्लाम व इस्लामिक विधि, कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से ही शासित होती है। इस्लाम में विश्वास रखने वालों में अलग-अलग मत व विचार हैं। और सभी विचारधारायें अपनी- अपनी व्याख्यायें करती हैं। कुछ पर कुरान भी मौन है। मुसलमान प्रमुखत: दो संप्रदाय में रखे जाते हैं। सिया एवं सुन्नी जो आगे उपसंप्रदाय (शाखा) के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रत्येक विचारधारा के अपने विश्वास रीति- रिवाज व्यवहार निर्धारित हैं। कोई निर्धारित पैमाना नहीं होने पर और कुरान के मौन होने पर एक विचारधारा को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। फिर भी हम कह सकते हैं की सभी विचारधाराओं का स्रोत एक ही है और एक ही मार्ग पर अग्रसर है। अर्थात् हम कह सकते हैं कि सभी विचारधाराओं की शिक्षाओं की तुलना न की जाए। यद्यपि एक ही गंतव्य पर बढ़ रहे हैं। अगर कोई इंसान इनमें से किसी भी मार्ग को चुनता है तो वह सही मार्ग पर है बशर्ते अपने ईमान को मुस्सल रखें और उल्लाह की खिदमत में रहे।

सन्दर्भ-

1. डॉ.आर के सिन्हा, 'मुस्लिम विधि' सेंट्रल लॉ एजेंसी छठवां संस्करण ।
2. अकील अहमद, "मुस्लिम विधि" सेंट्रल लॉ एजेंसी 28वां संस्करण ।
3. https://free-islamic-course.org/stageone/stageone-module-4/four-schools-law-islam.html